

प्रेषक

विमलेश कुमार झा,
सरकार के उप सचिव।

15
31.5.16 हरि मन्जूर

सेवा में

श्री वैद्यनाथ प्रसाद

सचिव, बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग
7, साउथ बेली रोड, पटना।

पटना, दिनांक-....., 2016

विषय- बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग, पटना के स्थापना व्यय हेतु वर्ष 2015-16 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से उपबंधित राशि से कुल 7,80,000/- (रुपये सात लाख अस्सी हजार) मात्र का आवंटन की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट शीर्ष-2070 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में व्यय हेतु द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि कुल 7,80,000/- (रुपये सात लाख अस्सी हजार) मात्र का आवंटन बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग, पटना को निम्न प्रकार से किया जाता है :-

विषय शीर्ष		बिहार अकास्मिकता नीधि से आवंटनादेश सं0-6090 दि0-29.05.2015 द्वारा पूर्व में आवंटित राशि	द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि	अद्यतन कुल आवंटित राशि (स्तम्भ2+3)
1		2	3	4
01 01	वेतन	23,00,000	2,00,000	25,00,000
0107	अन्य भत्ता	2,75,000	20,000	2,95,000
1101	यात्रा व्यय	1,00,000	50,000	1,50,000
13 01	कार्यालय व्यय	2,00,000	--	2,00,000
13 02	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	10,00,000	50,000	10,50,000
13 03	दूरभाष	75,000	--	75,000
13 04	विद्युत प्रभार	50,000	10,000	60,000
2801	व्यवसायिक एवं अन्य विशेष सेवाएँ	9,90,000	4,50,000	14,40,000
योग		49,90,000 /- (रुपये उनचास लाख नब्बे हजार) मात्र	7,80,000 /- (रुपये सात लाख अस्सी हजार) मात्र	57,70,000 /- (रुपये सत्तावन लाख सत्तर हजार) मात्र

इस प्रकार उक्त कंडिका के स्तम्भ -"3" में अंकित राशि क्रमशः 2,00,000+20,000+50,000+50,000+10,000+ 4,50,000 अर्थात् कुल 7,80,000/- (रुपये सात लाख अस्सी हजार) मात्र का आवंटन।

3. उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में आय-व्ययक, मांग सं०-22, मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-105-विशेष जाँच आयोग, उप शीर्ष-0017-बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग के विषय शीर्ष-0101-वेतन, 0107-अन्य भत्ता, 1101-यात्रा व्यय, 1302-वाहन का ईंधन एवं रख रखाव, 1304- विद्युत प्रभार, 2801-व्यवसायिक एवं अन्य विशेष सेवाएँ विपत्र कोड-एन-2070001050017 के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि का व्यय जिस मद में आबंटित की गई है, उसी मद में व्यय की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में उक्त आबंटित राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्री वैद्यनाथ प्रसाद, सचिव, बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग, 7, साउथ बेली रोड, पटना (अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ता छोड़ कर) होंगे। अध्यक्ष अपना वेतन एवं अन्य मदों की निकासी स्वयं करेंगे।

6. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

7. इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों एवं अन्य को भी दी जा रही है।

8. यह आबंटनादेश महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।

9. यह आबंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दि०-17.4.1998 ससमय यथा संशोधन के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. यदि किसी कारणवश उक्त राशि का उपयोग न हो सके तो उसका प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को ससमय निश्चित रूप से कर दिया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक-....., 2016

ज्ञापांक-...../

(ले० रत्न ६५०)

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक-....., 2016

ज्ञापांक-...../

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक-....., 2016

ज्ञापांक-...../

प्रतिलिपि :-श्री राजेन्द्र प्रसाद (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, पटना), अध्यक्ष, बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग, 7, साउथ बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक-06-01, 2016

ज्ञापांक-...../

प्रतिलिपि :-आई० टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

84

9.3.30
6/1/16

सरकार के उप सचिव